उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय—प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स—05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 139 / 12—1 रूद्रपुर, दिनांक 10/07/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः— **जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. : FP/UK/Others/155386/2022)**

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्रांक 2767/ग्रा0नि0वि0/04—प्रा0/मा0मु0मं0घो0/2023—24 दिनांक 23.03.2024, 632/ग्रा0नि0वि0/04—प्रा0/मा0मु0मं0घो0/2024—25 दिनांक 04.07.2024, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 591/FP/UK/Others/155386/2022 दिनांक 30.08.2022 एवं आपका पत्रांक 1639/12—1 दिनांक 22.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का उत्तरालेख में निम्न प्रकार हैः—

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
01	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—2 में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रपत्र भाग—02 में आवश्यक संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नकः 01)**
02	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) के बिन्दु a व b पर सूचना अंकित नहीं की गई है और न ही प्रपत्र पर संस्तुति अंकित की गई है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि स्थल निरीक्षण आख्या में आवश्यक संशोधित कर भेजा जा रहा है। **(संलग्नकः 02)**
03	प्रस्तावित स्थल एन०एच० एवं रेल पटरी के मध्य स्थित है, कृपया इस सम्बन्ध में एन०एच० एवं रेलवे का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0एच0आई0 एवं रेलवे से अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है। **(संलग्नकः 03)**
04	प्रस्तावित प्रकरण एवं प्रस्ताव संख्या—155392/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल इस वन प्रभाग में हल्द्वानी राजि में आता है।

O/c

Scanned with CamScanner

	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 के बिन्दु X में एक प्रकरण में हाथी रिजर्व होने का उल्लेख किया गया है कि किन्तु दूसरे प्रकरण में हाथी रिजर्व नही होने का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करे।	**(संलग्नकः 04)** उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 अधिसूचना संख्या 1777/1(2)/व0ग्रा0वि0/ 2002–19(9)/2002 दिनांक 28.10.2002 **(संलग्नकः 05)** से तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर की गदगदिया, भाखड़ा, टाण्डा, पीपलपड़ाव, हल्द्वानी एवं बरहैनी रेन्ज को "शिवालिक एलिफेण्ट रिजर्व" के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
05	प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व होने की दशा में प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नकः 06)**
06	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–7 में सी.डी. प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो उपलब्ध नही करायी गई है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव की 02 सी0डी0 में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नकः 07)**
07	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का मदवार विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। **(संलग्नकः 08)**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0 139 / 127 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner